बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
(पंजीयन सं.-633/2003)
Website ; basabihar.in, E-mail Id : infobasa1@gmail.com

कार्य. अध्यक्ष
* साँबर भारती
मो.-9955849473

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो.-9431091417 E-mail: shushilkumar09@gmail.com

संयुक्त सचिव : * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष : * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष : * विनोद आनन्द

पत्रांक: 12

दिनांक: 20-5-2017

दिनांक– 20.05.2017 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की केन्द्रीय कार्यकारणी की हुई बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम उपस्थित सभी सदस्यों, पूर्व अध्यक्ष/महासचिव, आजीवन सदस्यता प्राप्त सदस्य एवं माह नवम्बर, 2016 से माह अप्रैल, 2017 तक सेवानिवृत पदाधिकारी का अध्यक्ष द्वारा स्वागत किया गया।

2. सदस्यों को बताया गया कि बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का आम सभा दिनांक– 16.07.2017 को रविन्द्र भवन में आयोजित होगी।

3. सातवें वेतन के संदर्भ में चर्चा की गई। दिनांक– 16.05.2017 को कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। दिनांक– 01.01.2016 से वैचारिक एवं दिनांक– 01.04.2017 से वास्तविक लाभ दिया गया है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिनांक– 01.01.2017 से देने की बात कही गई थी। खुशी की बात है कि केन्द्र के अनुरूप वेतनमान दिया गया है। वास्तविक लाभ दिनांक– 01.01.2016 से देने हेतु पुनर्विचार करने का अनुरोध सरकार से किया जायेगा। सातवें वेतन आयोग द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव के पदों की संख्या घटाने का अनुशंसा की गई है। अनुशंसा का मुख्य अंश इस प्रकार है :–

" The commission would not like to totally do away with level of GP 10000/- owing to reasons of cadre morale, but would strongly recommend that number of posts be reduced signficantly from the present posts." आयोग के द्वारा यह वर्णित है कि " We have a sitution where a BAS officer, on promotion to the IAS, is entitled to a pay structure which is inferior to the one he would be entitled to if he were not promoted to the IAS either because of non-fulfillment of eligibility norms or because of having crossed the age limit for consideration."

जब कोई सदस्य बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति पाता है तो वह बिहार प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी नहीं रह जाता है बल्कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी हो जाता है और दोनों सेवा संवर्ग का वेतनमान अलग–अलग होता है। जहाँ तक प्रोन्नति का प्रश्न है वो इस कारण से है कि बिहार राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में कभी भी समय पर बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति नहीं हो रहा है। उदाहरणस्वरूप वर्ष 2008, 2009, 2010 के रिक्ति के विरूद्ध भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति वर्ष 2012 में हो पाया। वर्ष 2011, 2012 के रिक्ति के विरूद्ध भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति वर्ष 2016 में हो पाया जबकि वर्ष 2013, 2014, 2015 के रिक्ति के विरूद्ध वर्ष 2017 के माह मई तक प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाया है। इस परिस्थिति में वेतनमान पर चर्चा करना भी व्यर्थ है। बल्कि विलम्ब से प्रोन्नति देने के कारण प्रोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का सेवा अवधि बहुत ही कम रह पाता है। अगर ससमय भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी जाती हैं तो अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति पा सकेगें जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में संयुक्त सचिव में नियुक्त हो सकेगें।

संघ सरकार से यह मांग करेगा की विशेष सचिव के साथ–साथ अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव का पद बढ़ाया जाय तथा दिनांक 29.03.1999 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के साथ संघ का समझौते के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी पाँच पदाधिकारी को समाहर्त्ता के पद पर पदस्थापित किया जाय।

4. सदस्यों को बताया गया कि संघ भवन के द्वितीय तल के सभी पीलर का कार्य हो चुका है एवं छत्त ढ़लाई की तैयारी चल रही है। सदस्यों से सहयोग राशि देने की अपील की गई। सदस्यों को बताया गया कि संघ भवन में CCTV कैमरा, अग्निशामक यंत्र लगा दिया गया है। संघ भवन के अनुरक्षण कार्य हेतु एक कमिटी का गठन करने पर विचार किया गया।

5. श्री सुनील कुमार तिवारी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर सम्प्रति– अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मोहनियॉ (कैमूर), कुमार अनुज, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति– वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर, श्री आलोक कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के मामले पर चर्चा की गई। सभी पदाधिकारी को न्याय देने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से संघ अनुरोध करेगा। जिला पार्षद् द्वारा श्री शंभु कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्–सह–निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (वरीय उप समाहर्त्ता), अररिया के साथ अभ्रद व्यवहार किये जाने पर जिला इकाई अररिया द्वारा निर्णय लिया

गया है कि भविष्य में जिला परिषद् अररिया की किसी भी सामान्य/विशेष बैठक में अररिया जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी भाग नहीं लेगें। संघ इसका समर्थन करता है तथा जिला परिषद् के द्वारा किये गये अभ्रद व्यवहार की घोर निन्दा करता है। इसकी सूचना सम्बन्धित विभागो को दी जायेगी।

6. माह नवम्बर, 2016 से अप्रैल, 2017 तक सेवानिवृत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी इस प्रकार है :–

<u>माह नवम्बर, 2016 में बि०प्र०से० के सेवानिवृत पदाधिकारी</u>

क्र०सं०	कोटि क्रमांक/2011	नाम	पदनाम
1.	143	श्री रामजी सिंह	29वीं विशेष सचिव, कृषि विभाग, पटना
2.	86	श्री प्रभात कुमार महथा	30वीं सचिव, विश्वास बोर्ड

<u>माह दिसम्बर, 2016 में बि०प्र०से० के सेवानिवृत पदाधिकारी</u>

1.	223	श्री अनिल कुमार	29वीं विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना
2.	239	श्री उमा कान्त चौबे	29वीं सचिव, आपदा प्रबंधन प्राधिकार, पटना
3.	341	श्री भुवनेश्वर मिश्र	32वीं संयुक्त निदेशक, श्रम संसाधन विभाग, पटना

<u>माह जनवरी, 2017 में बि०प्र०से० के सेवानिवृत पदाधिकारी</u>

1.	213	श्री उदय कुमार सिंह	29 वीं उप निदेशक, पंचायत राज, पटना प्रमंडल, पटना
2.	233	श्री शेखर चन्द्र वर्मा	29वीं संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, पटना
3.	296	श्री अशोक कुमार पाल	30वीं विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
4.	352	श्री रविन्द्र कुमार गुप्ता	32वीं संयुक्त आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, पटना
5.	383	श्री ललन प्रसाद सिंह	33वीं संयुक्त सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग, पटना
6.	420	श्री जगदीश प्रसाद सिंह	33वीं अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज
7.	479	श्री अरूण कुमार सिंह	34वीं अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर
8.	482	श्री अशोक कुमार सिंह	34वीं विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, पटना
9.	494	मो0 कासिम अंसारी	34वीं अपर समाहर्त्ता, वैशाली

माह फरवरी, 2017 में बि०प्र०से० के सेवानिवृत पदाधिकारी

1.	197	मो0 मुस्ताक हफीजुर रहमान	28वीं अपर समाहर्त्ता, बाँका
2.	382	श्री चन्द्रकेत नारायण सिंह	33वीं अपर समाहर्त्ता, आपदा बेगुसराय
3.	419	श्री दारोगा यादव	33वीं उप विकास आयुक्त, सहरसा
4.	512	श्री निवास सिंह	35वीं अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा

माह मार्च, 2017 में बि०प्र०से० के सेवानिवृत पदाधिकारी

1.	430	श्रीमती जगजीत कौर घई	33वीं संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, पटना
2.	511	श्रीमती इन्दू सिंह	34वीं उप विकास आयुक्त, शिवहर
3.	809	मो0 आजाद शहाबुद्दीन	38वीं जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी, पूर्णिया

माह अप्रैल, 2017 में बि०प्र०से० के सेवानिवृत पदाधिकारी

1.	488	श्री जय कुमार द्विवेदी	34वीं अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी

सभी सदस्यों को सम्मानस्वरूप बासा का प्रतीक प्रदान किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

20.05.17

(सुशील कुमार)
महासचिव

(साँवर भारती)
कार्य0 अध्यक्ष

प्रतिलिपिः– केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य/सभी विशेष आमंत्रित सदस्य/सभी आमंत्रित सदस्य/अध्यक्ष/सचिव सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

20.05.17

(सुशील कुमार)
महासचिव,